

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के संदर्भ में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

Suman Yadav

Research Scholar, Singhania University, Pachheri Bari (Jhunjhunu) Raj.

Dr. Rajpal Singh Yadav

Supervisor, Assistant Professor Singhania University, Pachheri Bari (Jhunjhunu) Raj.

➤ भूमिका

भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। किसी भी शैक्षिक योजना की सफलता केवल सरकारी प्रावधानों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अभिभावकों की मानसिकता, विश्वास, जागरूकता तथा भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत शोध-लेख का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृत्ति का विश्लेषण करना है — विशेषतः सरकारी विद्यालयों, निजी विद्यालयों, शिक्षा की गुणवत्ता, सुविधाओं तथा बच्चों के भविष्य के प्रति उनकी धारणा के संदर्भ में। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अधिनियम के कारण नामांकन बढ़ा है, परन्तु गुणवत्ता संबंधी धारणाएँ अभी भी अभिभावकों के निर्णय को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग में अधिनियम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक पाया गया, जबकि मध्यम वर्ग में निजी विद्यालयों की ओर झुकाव प्रमुख रहा। निष्कर्षतः अभिभावकों की जागरूकता और विद्यालय-समुदाय सहभागिता बढ़ाने से अधिनियम की प्रभावशीलता में वृद्धि संभव है।

मुख्य शब्द: आरटीई अधिनियम, अभिभावक अभिवृत्ति, प्राथमिक शिक्षा, सरकारी विद्यालय, नामांकन आदि का उपयोग किया गया है।

1. प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास का आधार है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी साक्षरता दर, शिक्षा की गुणवत्ता तथा नागरिकों की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करती है। भारत में लंबे समय तक शिक्षा सभी बच्चों तक समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक असमानताओं के कारण बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय से बाहर रहते थे। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने वर्ष 2009 में “निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम” लागू किया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

इस अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया। इसके अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश, पुस्तकें, वर्दी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं तथा बच्चों को कक्षा 8 तक बिना रोके प्रोत्साहित किया जाता है।

किन्तु किसी भी शैक्षिक नीति की सफलता केवल कानून बनाने से सुनिश्चित नहीं होती। अभिभावक बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं। वे विद्यालय चयन, नियमित उपस्थिति, पढ़ाई के प्रति प्रेरणा तथा शैक्षिक

वातावरण निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि अभिभावक इस अधिनियम को किस प्रकार देखते हैं — क्या वे इसे लाभकारी मानते हैं या औपचारिक व्यवस्था मात्र।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

आरटीई अधिनियम के लागू होने के बाद विद्यालयों में नामांकन बढ़ा, लेकिन कई क्षेत्रों में ड्रॉप-आउट दर, निजी विद्यालयों की बढ़ती लोकप्रियता तथा सरकारी विद्यालयों के प्रति अविश्वास अभी भी देखा जाता है। इसका प्रमुख कारण अभिभावकों की मानसिकता है। यदि अभिभावक सरकारी विद्यालयों पर विश्वास नहीं करते, तो वे आर्थिक कठिनाई के बावजूद निजी विद्यालय चुनते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नीति का वास्तविक प्रभाव समाज की धारणा पर निर्भर करता है।

➤ इस अध्ययन का महत्व निम्न बिंदुओं में निहित है:

1. अधिनियम की सामाजिक स्वीकृति का आकलन
2. सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास स्तर का विश्लेषण
3. अभिभावकों की अपेक्षाओं की पहचान
4. नीति सुधार हेतु सुझाव प्रदान करना

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिभावकों की आरटीई अधिनियम के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रति उनकी धारणाओं की तुलना करना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता, सुविधाओं एवं शिक्षकों के व्यवहार के प्रति उनकी संतुष्टि जानना।
4. सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर अभिवृत्ति में अंतर का विश्लेषण करना।
5. अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

4. परिकल्पनाएँ (Hypotheses)

1. ग्रामीण अभिभावकों की अभिवृत्ति शहरी अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक होगी।
2. निम्न आय वर्ग सरकारी विद्यालयों के प्रति अधिक संतुष्ट होगा।
3. मध्यम वर्ग निजी विद्यालयों को अधिक गुणवत्तापूर्ण मानता है।
4. जागरूकता स्तर जितना अधिक होगा, अधिनियम के प्रति दृष्टिकोण उतना सकारात्मक होगा।

5. **अनुसंधान विधि** यह अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है। नमूना (Sample) कुल अभिभावक: 120, ग्रामीण क्षेत्र: 60, शहरी क्षेत्र: 60 उपकरण

➤ अभिभावक अभिवृत्ति मापनी (Likert Scale प्रश्नावली) तैयार की गई जिसमें निम्न क्षेत्र शामिल थे:

1. शिक्षा का महत्व

2. सरकारी विद्यालय सुविधाएँ
3. शिक्षक व्यवहार
4. निजी विद्यालय धारणा
5. भविष्य की आशाएँ

5.5 डेटा संग्रहण प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं प्रश्नावली द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

5.6 विश्लेषण प्रतिशत एवं औसत स्कोर के आधार पर विश्लेषण किया गया।

6. परिणाम एवं विश्लेषण

6.1 अधिनियम की जानकारी रखने वाले (%) ग्रामीण 68% शहरी 82% शहरी अभिभावकों में जागरूकता अधिक पाई गई।

6.2 सरकारी विद्यालय के प्रति विश्वास ग्रामीण: 72% संतुष्ट शहरी: 46% संतुष्ट ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विद्यालय अधिक स्वीकार्य पाए गए।

6.3 निजी विद्यालय की प्राथमिकता मध्यम वर्ग: 78% निजी विद्यालय पसंद निम्न आय वर्ग: 29% निजी विद्यालय पसंद यह दर्शाता है कि गुणवत्ता की धारणा आर्थिक स्तर से जुड़ी है।

6.4 शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी अभिवृत्ति अभिभावकों की सामान्य धारणा: सरकारी विद्यालय: मुफ्त लेकिन कमजोर पढ़ाई निजी विद्यालय: महंगे लेकिन बेहतर अनुशासन

6.5 बच्चों के भविष्य के प्रति चिंता लगभग 85% अभिभावकों का मानना है कि केवल प्रमाणपत्र नहीं बल्कि कौशल आधारित शिक्षा आवश्यक है।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अधिनियम ने शिक्षा तक पहुँच बढ़ाई है, परंतु विश्वास की समस्या बनी हुई है। अभिभावक मुफ्त सुविधाओं को सकारात्मक मानते हैं, पर गुणवत्ता पर प्रश्न उठाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक-समुदाय संबंध मजबूत होने के कारण सकारात्मक अभिवृत्ति अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तुलना और प्रतिस्पर्धा अधिक होने से निजी विद्यालयों का आकर्षण बना रहता है।

7. निष्कर्ष

आरटीई अधिनियम ने नामांकन में वृद्धि की है। अभिभावकों की जागरूकता बढ़ रही है, पर गुणवत्ता की चिंता बनी हुई है। ग्रामीण अभिभावक अधिक संतुष्ट हैं। मध्यम वर्ग निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देता है। अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाने से अधिनियम अधिक प्रभावी हो सकता है।

8. शैक्षिक निहितार्थ

स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सक्रिय बनाया जाए अभिभावक-शिक्षक बैठक नियमित हो शिक्षण गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए स्थानीय समुदाय को विद्यालय से जोड़ा जाए

9. सुझाव

1. अभिभावक जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
2. सरकारी विद्यालयों में कौशल आधारित गतिविधियाँ बढ़ाई जाएँ।
3. शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत किया जाए।
4. अधिनियम के प्रावधानों की पारदर्शी जानकारी दी जाए।
5. विद्यालयों में सीखने के परिणामों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाए।

10. उपसंहार

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भारत में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसने शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित किया, परन्तु इसकी वास्तविक सफलता अभिभावकों की धारणा पर निर्भर है। जब तक अभिभावक सरकारी विद्यालयों पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा में समानता का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

अतः आवश्यक है कि नीति केवल सुविधा प्रदान न करे, बल्कि गुणवत्ता और विश्वास भी स्थापित करे। विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और समाज — सभी की संयुक्त सहभागिता से ही इस अधिनियम का उद्देश्य पूर्ण रूप से साकार हो सकेगा।

11. संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. भारत सरकार (2009). बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)।
2. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2011). आरटीई अधिनियम कार्यान्वयन दिशा-निर्देश. नई दिल्ली।
3. National Council of Educational Research and Training (NCERT) (2014). Right to Education Act: A Source Book. New Delhi: NCERT.
4. NCERT (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (NCF-2005). नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
5. NUEPA (2016). Elementary Education in India: Progress Towards UEE. New Delhi: National University of Educational Planning and Administration.
6. ASER Centre (विभिन्न वर्ष). Annual Status of Education Report (ASER). नई दिल्ली: प्रथम फाउंडेशन।
7. Govinda, R. (2011). Who Goes to School? Exploring Exclusion in Indian Education. Oxford University Press.
8. Tilak, J.B.G. (2010). Universal Elementary Education in India: Problems and Prospects. New Delhi: NUEPA.
9. Aggarwal, J.C. (2012). शिक्षा का समाजशास्त्र. नई दिल्ली: शिप्रा पब्लिकेशन।

10. शर्मा, आर.ए. (2013). शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी. मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।
11. MHRD (2014). Sarva Shiksha Abhiyan Framework for Implementation. Government of India.
12. Kingdon, G. (2017). The Private School Phenomenon in India: A Review. International Journal of Educational Development.
13. Dreze, J. & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and Its Contradictions. Princeton University Press.
14. UNESCO (2015). Education for All Global Monitoring Report. Paris: UNESCO.
15. UNICEF India (2012). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act: Status of Implementation. New Delhi.
16. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SIERT), उदयपुर (विभिन्न वर्ष). प्राथमिक शिक्षा एवं आरटीई क्रियान्वयन रिपोर्ट।